



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2016/श्रावण 19, 1938

No. 264]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2016/SRAVANA 19, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : चीन जन. गण., जापान, रूस, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " इस्पात के अलॉय या गैर-अलॉय हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों " के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

सं. 14/9/2016 -डीजीएडी .—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 01.08.2016 की चीन जन. गण., जापान, रूस, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " इस्पात के अलॉय या गैर-अलॉय हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों " के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/9/2016-डीजीएडी जारी कर दी है ।

2. इसमें आंशिक संशोधन में उपर्युक्त अधिसूचना में पहली शुल्क तालिका के कॉलम सं.3 में, वस्तुओं के विवरण को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है:

"इस्पात के अलॉय या गैर-अलॉय हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों 2100 मिमी. तक की चौड़ाई और 25 मिमी. तक मोटाई की काइलों में", स्टेनलैस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद; स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो इलेक्ट्रो लिटिकली प्लेटेड या जिंक से कोटेड हों; स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो अन्यथा जिंक से प्लेटेड या कोटेड और क्लेडेड स्टील हो को छोड़कर ।

3. आगे, उपर्युक्त अधिसूचना में दूसरी शुल्क तालिका के कॉलम सं.3 में, वस्तुओं के विवरण को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाता है:

" इस्पात के अलॉय या गैर-अलॉय हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों जो 4950 मिमी. तक की चौड़ाई और 150 मिमी. तक मोटाई के जो काइलों में न हो (जिसे शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है)", स्टेनलैस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद, स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो इलेक्ट्रो लिटिकली प्लेटेड या जिंक से कोटेड हों; स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो अन्यथा जिंक से प्लेटेड या कोटेड और क्लेडेड स्टील हो को छोड़कर।

ए. के. भल्ला, अतिरिक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 10th August, 2016

**PRELIMINARY FINDINGS NOTIFICATION**

**Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel" originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia.**

**No.14/09/2016-DGAD.**—Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules), the Designated Authority has notified the Preliminary Findings in the anti-dumping investigation concerning imports of "Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel" originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia, vide Notification No.14/9/2016-DGAD dated 01.08.2016.

2. In partial modification thereof, in Column Number 3 of the first Duty Table in the above mentioned Notification, the description of goods is modified as under:

"Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel in coils of a width upto 2100mm and thickness upto 25mm", excluding hot-rolled flat products of stainless steel; hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc; hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc and cladded steel.

3. Further, in Column Number 3 of the second Duty Table in the above mentioned Notification, the description of goods is modified as under:

"Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm", excluding hot-rolled flat products of stainless steel; hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc; hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc and cladded steel.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. and Designated Authority